संख्या–2691 / 14–2–2018–800 (64) / 2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 27 **अगस्त 2018**

विषयः– बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदरी जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–165 / 11–सी–एफपी / यूपी / थर्मल / 14236 / 2015, दिनांक 19–7–2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदरी जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0–8बी / यू0पी0 / 02 / 38 / 2016 / एफसी / 478, दिनांक 11–01–2017 में उल्लिखित बिन्दु सं0–3 पर आख्या उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, जो इस प्रकार हैः–

> **3. In pursuance of order of Hon'ble NGT is appeal no. 79/2004; Department of Forest: UP may review its stand on the proposal**

कृपया उक्त के आलोक में विषयगत प्रकरण के सम्बंध में आख्या / टिप्पणी (संस्तुति) शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।